(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1096–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा प्रकरण कमांक 189/अपील/2011–12

....

सिरपत सिंह गोंड उम्र 72 वर्ष पिता चैन सिंह गोंड
निवासी–ग्राम सजनिया तहसील बांधवगढ़
जिला–उमरिया, म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

....

श्री इमरान खान, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, शासकीय पैनल अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13 अगस्त 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम सजनियां, हल्का पटवारी चरगवां स्थित भूमि सर्वे नं0 51/2 क्षेत्रफल 1.619 है0 पर खड़े

सूखे 50 सागौन, 4 साजा, 07 सतकठा वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदक द्वारा कलेक्टर उमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने स्वयं के क्षय रोग के ईलाज हेतु वृक्षों को काटने एवं काटे गये वृक्षों को वन विभाग को विक्रय करने व परिवहन की अनुमति चाही है। पूर्व में वृक्षों को कटवाने की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदाय की गई थी। कलेक्टर उमरिया ने आदेश दिनांक 10–01–2012 से आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा आयुक्त शहडोल के यहाँ अपील संहिता की धारा 44 के अंतर्गत पेश की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–02–2014 को आवेदक की अपील अमान्य करते हुये कलेक्टर को यह निर्देश दिये कि प्रश्नाधीन भूमि पर काटे गये इमारती वृक्षों को राजसात कर नीलाम कराकर नीलामी में प्राप्त राशि को शासकीय खजाने में जमा कराई जाये। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदक आदिवासी गोंड जाति का है और उसे ग्राम सजनिया तहसील नौरोजाबाद की आराजी कमांक 51/2 रकवा 4 एकड़ का भूमिस्वामी पट्टा प्रदान किया गया था जिसपर आवेदक ने वृक्ष लगवाये थे। आवेदक के क्षय रोग से ग्रसित होने से उसके इलाज हेतु कुछ वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वनमण्डलाधिकारी उमरिया के द्वारा वृक्ष काटने की सहमति भी प्रदान कर दी गई थी। परन्तु कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की। इसके पूर्व कलेक्टर द्वारा वृक्ष काटने हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर उमरिया एवं आयुक्त ने संहिता की धारा 179 एवं धारा 240, 241 के मंशा के विपरीत आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। तर्क में यह भी कहा कि धारा 179 वन

संरक्षण अधिनियम आदिम जाति संरक्षण 1999 के अन्तर्गत किसी भी आदिवासी की भूमि पर अन्य गैर आदिवासी के द्वारा वृक्ष काटने पर प्रतिबंधित करते हुये आदिवासियों को वृक्षों का उपयोग उपभोग स्वेच्छानुसार किए जाने पर कोई रोक नहीं है तथा 30 दिवस के अंदर कलेक्टर द्वारा अनुमति ना प्रदान किए जाने पर स्वमेव यह माना जावेगा कि अनुमति प्रदान की जा चुकी है, इस कानूनी बिन्दु पर भी कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं किया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर एवं आयुक्त का आदेश निरस्त किए जायें।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1974–75 के राजस्व अभिलेखों में जंगल किस्म दर्ज थी। जंगल किस्त भूमि का बिना नोइयत परिवर्तन किए व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता। आवेदक को तहसीलदार के द्वारा दिनांक 11–3–1991 को व्यवस्थापित की गई थी। व्यवस्थापन कृषि भूमि का ही किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने व्यवस्थापित भूमि पर कोई पेड़ नहीं लगाये गये थे बल्कि प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व से वृक्ष थे तथा वर्तमान में भी हैं। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन चाहा जिस पर दिनांक 19–7–2009 को अनुविभागीय अधिकारी ने अतिरिक्त तहसीलदार, हल्का पटवारी एवं उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष किये मौका निरीक्षण के आधार पर दिनाक 20–7–2009 को प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया जिसमें आवेदक द्वारा 16 नग सागौन के पेड़ों को बगैर अनुमति के अवैध रूप से काटने का कृत्य किया जाना पाया, जिससे संहिता की धारा 240 में बने प्रावधानों का उल्लंघन पाया। इसी कारण आवेदक को धारा 253 के अर्थदण्ड की शास्ति से दंडित किये जाने प्रतिवेदित किया था। इसी आधार पर आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की है जिसे आयुक्त ने उचित ठहराया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन आवेदक सिरपत सिंह के नाम से प्रकरण कमांक 79/अ–19(4)/88–89 आदेश दिनांक 11–3–91 द्वारा किया गया तथा आज दिनांक तक यथावत सिरपत सिंह के भूमिस्वामी स्वत्व में है। सर्वे नं0 51 रकवा 11.42 ए. वर्ष 58–59 की खतौनी में रक्षित वन दर्ज था, जिसका वर्ष 1991 में व्यवस्थापन आवेदक को किया गया। कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम सजनियां, हल्का पटवारी चरगवां स्थित भूमि सर्वे नं0 51/2 क्षेत्रफल 1.619 है0 पर खड़े सूखे 50 सागौन, 4 साजा, 07 सतकठा वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदक द्वारा कलेक्टर उमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जांच प्रतिवेदन चाहा जिस पर दिनांक 19–7–2009 को अनुविभागीय अधिकारी ने अतिरिक्त तहसीलदार, हल्का पटवारी एवं उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष किये मौका निरीक्षण के आधार पर दिनाक 20–7–2009 को प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया जिसमें यह अंकित किया था कि "आवेदक ने प्रश्नधीन भूमि से 16 सागौन के वृक्षों को स्वयं काटा गया है। काटे गये वृक्षों की लकडियों को काटकर 116 नग बोगियां बनाई गई है। आवेदक ने आवेदित आराजी से 50 नग सागौन, 07 नग सतकठा, 4 नग साजा के खडे सूखे वृक्षों की काटने की अनुमति बावत आवेदन पेश किया परन्तु इसके पूर्व ही न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते आवेदन द्वारा 16 नग सागौन के पेड़ों को बगैर अनुमति के अवेध रूप से काटने का कृत्य किया है जिससे संहिता की धारा 240 में बने प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है। जिस कारण आवेदक को धारा 253 के अर्थदण्ड की शास्ति से दंडित किया जाना उचित होता है।"

म0प्र0 वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन नियम, 2007 के नियम 5 में दखलरहित या शासकीय भूमि पर खड़े वृक्ष कलेक्टर की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे:

आवेदक ने कलेक्टर की अनुमति के पूर्व ही 16 सागौन के वृक्षों को काटकर गिरा देने से नियमों का उल्लंघन किया जाना परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व में भी पेड़ थे तथा वर्तमान में भी हैं। आवेदक को भूमि का व्यवस्थापन किया गया था उस पर पूर्व से लगे वृक्षों का नहीं। आवेदक अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा है कि व्यवस्थापन में प्राप्त भूमि पर उसके द्वारा ही वृक्षों को लगाया गया था। इसके विपरीत खसरों में पूर्व से जंगल मद में भूमि दर्ज थी जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि पर वृक्ष पूर्व से लगे होंगे। इन्हीं आधारों पर खसरे में जंगल मद में दर्ज भूमि पर खड़े वृक्षों के काटने की अनुमति न देकर कलेक्टर द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की है, जिसे आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर एवं आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त शहडोल संभाग का आदेश दिनांक 22–2–2014 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर